6/6/25 पत्रावली पेश हुयी। वादी स्वयं उप० रहे। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब व वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र साक्ष्य आदि एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रकरण में शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उप खण्ड़ अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेन्द्रप्रसाद (आर. ए. एस.)

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1/161	19.05.2023	06.06.2025

उनवान

1. चंदाराम पुत्र कटटूराम जाति राजपूत निवासी नौगावा तहसील नौगावा जिला अलवर राज0

..............वादी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर।

3. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील नौगावा।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खाता संख्या 371 खसरा न—1652 रकवा 0.29, 1653 रकबा 0.21, 1654 रकवा 1.31 हैक्ट. जिनके 2058 का साविक खसरा न0 1238/2317 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 1238 मिन0 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम नौगावा तहसील नौगावा जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी दावा हाजा में विविदित है, जिसे आगे दावा हाजा में विविादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। उक्त विवादित आराजी पूर्व में लालचंद पुत्र भागमल खत्री की खातेदारी की आराजी थी , जिसे वादी ने जरिये पंजीकृत बयनामा लालचन्द पुत्र भागमल खत्री से बाकायता प्रतिफल अदा कर खदीत किया था। उसी समय से ही वादी विवादित आराजी पर काबिज रहकर बेरोकटोक काश्त करते चले आ रहे है और आज भी वादी का कब्जा काश्त है तथा मौके पर फसल बोई हुई है। विवादित आराजी का पंजीकृत बयनाम उप पंजीयक कार्यालय रामगढ में रजिस्ट्री लिखने वाले अर्जनिवेश से वादी का नाम चंदाराम के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज हो गया, वक्त बयनामा वादी काफी छोटी उम्र का था, जिस कारण वादी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नही हो सकी, तथा उसी पंजीकृत बयनामें के आधार पर वादी के पक्ष में इंतकाल 1075 दर्ज होकर मंजूर हो गया और इसी बयनामें के आधार पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र दर्ज हो गया। जबकि वादी के अन्य समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम चंदाराम

उप खण्ड अधि
रामगढ (अ

था उक्त गलत इन्द्राज के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी को बहुत परशानीयों का ना करना पड रहा है। जिस गलत इन्द्राज को वादी दुरूस्त कराने का कानूनी अधिकारी । जिस हेतु यह दावा श्रीमान के समक्ष पेश करान लाजमी आया।

यह कि विवादित आराजी में वादी का नाम रजिस्ट्री लिखने वाले अर्जनिवेश से चंदाराम के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज होने से आज तक आगामी समस्त राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियों द्वारा वादी का नाम चंदाराम के स्थान पर रामचन्द्र कर दिया। रजिस्ट्री लिखने वाले अर्जनिवेश से चंदाराम के स्थान पर रामचन्द्र गलती होना स्लिप ऑफ पेन की श्रेणी मे आती है। जिसे वादी कानूनन दुरूस्त कराने का अधिकारी है, जिसे दुरूस्त किया जना न्यायहित में आवश्यक है, जिस हेतु यह वादपत्र माननीय न्यायालय में पेश करना लाजमी है। अब जब वादी को अपने निजी कार्य हेतु जमाबन्दी की आवश्यकता होने पर वादी द्वारा हाल जमाबन्दी की सत्यप्रतिलिपि ली गई तो वादी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई , कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों मे अलग अलग है। इसके पश्चात जब वादी दिनांक 04.05. 2023 को तहसीलदार साहब नौगावा हाल जमाबन्दी की सत्यप्रतिलिपि की नकले लेकर मिला और तहसीलदार सहाब से वादी ने राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम रामचन्द्र के स्थान पर चंदाराम दुरूस्त करने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि इसके लिए आपको सक्षम न्यायालय से आदेश लाना होगा तब जाकर आपका नाम रामचन्द्र के स्थान पर चंदाराम की दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावेगी। जिस पर वादी ने अपने वकील सहाब से सलाह मश्वरा कर राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित अन्य नकले प्राप्त की और यह दावा घोषणत्मक दुरूस्ती इन्द्राज बिना देरी के श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश करान लाजमी आया अन्य कोई विकल्प शेष नही बचा। राजस्व रिकार्ड मे वादी चंदाराम के स्थान पर रामचन्द्र का इन्द्रा जोने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है, वादी के हक हकूको के जायल होने का अन्द्रशा बना हुआ है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर चंदाराम सहबन से हुई गलती को दुरूस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। जिसके लिए यह वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेशा करना लाजमी आया। दावा हाजा के लिए बिनायदावी वो बिनायमुखसमत दिनांक 04.05.23 को पैदा हुई जब असल प्रतिवादी संख्या--02 ने राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करने से साफ इन्कार कर दिया।

यह कि डिकी घोषणात्मक, दुरूस्ती इस कदर सादिर की जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा न0 1652 रकबा 0.29, 1653 रकबा 0.21, 1654 रकबा 1.31 हैक्ट. वाके ग्राम नौगावा तहसील नौगावा जिला अलवर में दर्जवादी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर चंदाराम दर्ज किया जावे। तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार नौगावा को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 तलब किया गया। प्रतिवादीगण (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावें का जवाब प्रस्तुत किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नौगांवा के आराजी ख0न0 1652, 1653, 1654 किता 3 रकबा 1.81 हे0 हिस्सा 1/2 रामचन्द्र पुत्र कट्टूराम जाति राजपूत साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें ख0न0 1652, 1654 सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में रहन दर्ज है। उक्त आराजी वर्तमान खातेदार रामचन्द्र पुत्र कट्टूराम ने दिनांक 25.06.1981 को जरिये रजि0 बयनामा क्रय की थी जिसमें भी वादी का

उप खण्ड़ अधिकारी
रामगढ (अलवर)

रामचन्द्र दर्ज है। जिसका नामा0 रा0 1075 दिनांक 09.12.1981, साबिक स्वीकार हुआ भूमि साबिक ख0न0 1238 / 2397 रकबा 1 / 3, 1268 / 6 है वादी का नाम आदिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में रामचन्द्र ही चला आ रहा है। वादी के पहचान दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिनमें वादी का नाम (जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र) चंदाराम पुत्र कट्टूराम का अंकन है। उक्त भूमि का मौका जांच किया गया जिसके 1 / 2 हिस्से पर चंदाराम पुत्र कट्टूराम का कब्जा काश्त है।

दावा व जवाब दावा के उपरान्त वाद में तनकीयात कायम की गई।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में स्वयं वादी चंदाराम पुत्र कट्टूराम ने हल्फनामा पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी हाल, मिलान क्षेत्रफल संवत 2058, मिसल संवत 2058 ईएक्स–1, 2, 3, नामान्तकरण सं0 1075 ईएक्स 4, जमाबन्दी संवत 2039 ईएक्स 5, स्वयं का शपथ पत्र ईएक्स 6, बैयनामा ईएक्स 7, पहचान पत्र ईएक्स 8, आधार कार्ड ईएक्स 9, राशन कार्ड ईएक्स 10, घरेलु विधुत कनेक्शन ईएक्स 11 शपथ पत्र पेश किये गये।

वादी के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। वादी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी हाल खसरा न0 1652 रकबा 0.29, 1653 रकबा 0.21, 1654 रकबा 1.31 हैक्ट. वाके ग्राम नौगावा तहसील नौगावा जिला अलवर में दर्जवादी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर चंदाराम दर्ज किया जावे। तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार नौगावा को आदेशित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वादी के विद्वान वकील की बहस एवं पैरोकार सरकार की जांच रिपोर्ट पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी हाल, मिलान क्षेत्रफल संवत 2058, मिसल संवत 2058 ईएक्स–1, 2, 3, नामान्तकरण सं0 1075 ईएक्स 4, जमाबन्दी संवत 2039 ईएक्स 5, स्वयं का शपथ पत्र ईएक्स 6, बैयनामा ईएक्स 7, पहचान पत्र ईएक्स 8, आधार कार्ड ईएक्स 9, राशन कार्ड ईएक्स 10, घरेलु विधुत कनेक्शन ईएक्स 11 शपथ पत्र, पैरोकार रिपोर्ट से प्रतित होता है कि प्रार्थी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर चंदाराम है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः आदेश है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1652, 1653, 1654 वाके ग्राम नौगांवा तहसील नौगांवा में दर्ज वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र कट्टूराम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर चंदाराम पुत्र कट्टूराम दर्ज करने हेतु तहसीलदार नौगांवा को आदेशित किया जाता है। इस प्रकार पर्चा डिकी बनाई जावें पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेन्द्रप्रसाद आर. ए. एस.

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1/161	19.05.2023	06.06.2025

उनवान

1. चंदाराम पुत्र कट्टूराम जाति राजपूत निवासी नौगावा तहसील नौगावा जिला अलवर राज0

...............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील नौगावा।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1652, 1653, 1654 वाके ग्राम नौगांवा तहसील नौगांवा में दर्ज वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र कट्टूराम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर चंदाराम पुत्र कट्टूराम दर्ज करने हेतु तहसीलदार नौगांवा को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.06.2025 को तैयार कर सामिल मिसल की गई।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)